न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 155/2024 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2104)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर –प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू(विक्रेता व मालिक) मैसर्स मणीधर स्वीट हाउस, 69 तह बाजार, मेन बाजार के पास रायसिंहनगर। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

निर्णय

दिनांकः–

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51,** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 09.11.2023 को समय **04:45 पीएम बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **मणीधर स्वीट हाउस, 69 तह बाजार, मेन बाजार के पास रायसिंहनगर** पर निरीक्षण हेतु पहंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू(विक्रेता एवं मालिक) को** अपना परिचय देकर संस्थान के काउंटर फ्रिज में ट्रे में रखे **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित)** लगभग 10 किलों रखा हुआ था, के बारे में जानकारी चाहीं। अप्रार्थी **भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू** ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान में रखे गुलाब **जामुन(वनस्पति में निर्मित)** 10 किलो को आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित)** मे से 02 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित)** का नगद भुगतान **320/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता भंवरलाल तथा गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू(विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू(विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित) 2 किलोग्राम** को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बें में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये ओर चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2104** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2104** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भंवरलाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंदकर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा

अति.जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2023/24779-80 दिनांक** 18.12.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित) का नमूना Sub-standard Food** होना पाया गया।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं रेफरल लैब से पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2023/24779-80 दिनांक** 18.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक से नमूने के दूसरे भाग को रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु दिनांक 25.01.2024 तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतुराम ने अनुसंधान कार्य समपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 26.03.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं **मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/ 238–39 दिनांक 01.04.2024** के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू (विक्रेता व मालिक) मैसर्स मणीधर स्वीट हाउस, 09 तह बाजार, मेन बाजार के पास, रायसिंहनगर** से खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित), Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री रमेश सारस्वत उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है। बिन्दु संख्या 02 मे दर्ज तथ्य परिवादी की ओर से साबित किये जाने आवश्यक है। बिन्दु संख्या 3 में परिवादी द्वारा 320/–रूपये का भुगतान करना व खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने का विवरण अंकित है। इस मद में अंकित तथ्यों का साक्ष्य द्वारा साबित करने का दायित्व परिवादी का है। बिन्दु संख्या 04 जिस प्रकार से अंकित है, अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 जिस प्रकार से अंकित है, अस्वीकार है। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 09 अस्वीकार है।। बिन्दु सं. 10 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 11 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 में प्रार्थी का नाम पता स्वीकार है। अन्य तथ्य अस्वीकार है। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित)** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1937/Act/2023/1937 दिनांक** 28.11.2023 में खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2104 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन(वनस्पति में निर्मित) हेतु भंवरलाल पुत्र तुलसीराम डेलू(विक्रेता व मालिक) मैसर्स मणीधर स्वीट हाउस, 69 तह बाजार, मेन बाजार के पास रायसिंहनगर को** रू 1,00,000 /– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ